**हरियाणा सरकार**
**आबकारी तथा कराधान विभाग**
**अधिसूचना**

**दिनांक 15 मार्च, 2013**

**संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2013.** – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क और ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होन की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

**संशोधन प्रारूप**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में.–

(i) अनुसूची क मे, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:–

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "11 | माल जिस पर अन्यथा लागू कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है जब कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट को बेचा जाए जो आगे कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट द्वारा सीधे अथवा प्राधिकृत कैन्टीन सविदाकारों द्वारा अथवा यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों द्वारा कार्यरत सैनिक कर्मियों और भूतपूर्वक सैनिकों को बेचा जाए | 4 प्रतिशत |
| 12 | माल जिस पर अन्यथा लागू कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है जब केन्द्रीय पुलिस कैन्टीनों को बेचा जाए जो ऐसी कैन्टीनों द्वारा आगे सेवारत केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल कार्मिक और उनके भूतपूर्व कार्मिक को बेचा जाए | 4 प्रतिशत "; |

(ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 32 तथा 32 क, और उसके सामने प्रविष्टियों को लोप कर दिया गया समझा जाएगा।

राजन गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।